न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी–दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 61 / 2023(पुरानी– 08 / 2022)
प्रविष्टि दिनांक :– 27.10.2023(पुरानी– 26.12.2022)
निर्णय दिनांक :– 08.05.2024

::–उनवान–::

1. **चन्द्रा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान**

–अपीलान्ट

बनाम

2. **नायब तहसीलदार, बान्दनवाड़ा, तह0 भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान**

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा, दिनांक 20.10.2022 प्रकरण सं.–18 / 2022 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
1. श्री सांवरलाल चौधरी एवं केसरलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलान्टस
2. नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–::

दिनांक 08.05.2024

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि **अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा** ने अपने **आदेश दिनांक 20.10.2022 प्रकरण सं. 18 / 2022** के द्वारा अपीलान्ट को भूमि **खसरा नम्बर 666 रकबा 29.21 है0 मे से 1.60 है0 पर किस्म गैर मुमकिन चट्टान वाके ग्राम अर्जुनपुरा पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम** कर भूमि **से बेदखल कर अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर कब्जा किये जाने के कारण नीलामी व वार्षिक लगान की 50 गुणा से 120 रूपये की शास्ति की जाकर** दण्डित किया है। भूमि से बेदखल कर कब्जा सरकार लेने हेतु आदेश जारी किया। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।
2. **अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा** ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2022 को ही निर्णित कर दिया जबकि उनके समक्ष दिनांक 20.10.2022 को प्रकरण में किये जाने वाली कार्यवाहीं को स्थगित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र धारा 10 सी०पी०सी० का प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को बिना रिकॉर्ड पर लिये ही अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाहीं करते हुए अपीलान्ट को अतिकमी मानकर उक्त अतिक्रमण को हटाकर बेदखल कर कब्जा सरकार लेने और लगान राशि शास्ति 180 / – रूपये कायम किया जाकर वसूलने के आदेश जारी किया। नायब तहसीलदार बान्दनवाडा का आदेश दिनांक 20.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न तोस आधारों पर प्रस्तुत की :–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने से काबिज निरस्त किये जाने योग्य है।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलेक्टर, केकड़ी

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत व जवाबदेही का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया केवल मात्र उपस्थिति के दिन पर ही पटवार हल्का पडांगा की मौका रिर्पोट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का अतिक्रमण जावत बिना जांच रिर्पोट के आधार पर आदेश पारित कर दिया जो कि विधि द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होने और अपीलान्ट को बिना विधिक सुनवाई का अवसर प्रदान किये जो एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो कि अधिनस्थ न्यायालयों का खारिज होने योग्य है।

3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा यह स्पष्ट बता दिया गया कि जिस भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पिछले करीबन 25-30 वर्षों से काश्त इत्यादि कर उपयोग उपभोग की भूमि है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय को मौके की वास्तविक स्थिति अपीलान्ट की कब्जा भूमि के बाबत मौका रिर्पोट या पुनः करके मंगवायी जानी आवश्यक व न्यायसंगत थी जिन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये पटवारी की रिर्पोट पर जेर अपील आदेश पारित किया जो कि काबिल निरस्तनीय है।

4. यह कि अपीलान्ट का जिस भूमि पर कब्जा व उपयोग उपभोग है वह अपीलान्ट का पिछले करीबन 25-30 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त आराजी पर अपीलांट द्वारा पेड़-पौधे इत्यादि लगाकर के उनको पाला-पोषा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर वर्षों पुराना कब्जा काश्त है और उक्त आराजी बावत एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी मिनाय के समक्ष विचाराधीन है जिनमें नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा व पटवार हल्का पडांगा पक्षकार है इसलिये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को अनिर्णित रख दिया और मात्र कयासों के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मान लिया जबकि अपीलांट व उसके परिवार के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि भी नहीं है। अपीलान्ट भूमिहिन गरीव ग्रामीण परवेश का काश्तकार है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। जिससे अपीलान्ट के द्वारा संवत 2079 में अतिक्रमण किया जाना किसी प्रकार से सावित नहीं था और उक्त खसरे पर तो वर्षों पुराना कब्जा काश्त है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों की भूल करते हुये जेर अपील आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है।

5. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि पटवारी पटवार हल्का पडांगा ने अपीलान्ट के द्वारा संवत 2079 से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है जबकि उक्त आरोप अपने आप में असत्य व मनगढन्त प्रतीत होता है क्योंकि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पुश्तैनी है जो कि काफी पुराना है। इसीलिये जेर अपील आदेश काबिल निरस्तनीय है।

6. यह कि अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जायेंगे।

7. यह कि अपील पूर्ण कॉर्ट फीस पर श्रीमान के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है।

8. यह कि अपील अन्दर मियाद एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत है।

अतः अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जावे एंव नायव तहसीलदार वान्दनवाडा का निर्णय दिनांक 20.10..2022 को निरस्त फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत स्थगन एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि ....

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, केकड़ी(राज0)
[illegible] श्री दिनेश धाकड़(आर.ए.एस.)
मु.नं. 61/2023
[illegible] 1956
[illegible] तहसीलदार बान्दनवाड़ा

1. यह कि यदि अधिनस्थ न्यायालय की पालना को स्थगित नहीं किया गया तो नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा प्रार्थी को वर्षों पुराने कब्जे काश्त से बेदखल कर देगें। जिससे प्रार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण का जरिया समाप्त हो जायेगा जिससे अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसको मूल्यों मे नही आंका जा सकेगा।

2. यह कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन अपीलान्ट के हक में है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि तापफैसला अपील नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा का निर्णय दिनांक 20.10.2022 की पालना को स्थगित किया जावे एंव मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे अन्य कोई अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावे।

1. यह कि प्रार्थी एक अनपढ़ ग्रामीण काश्तकार है इनको कानून की बारीक जानकारिया नहीं है। इसलिए अपील में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती मे हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र **न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, अजमेर** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली **स्थानान्तरित होकर** प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस पर **मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम** मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा देरी का कारण जो बताया गया है उसको न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में **मियाद कण्डोन** कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण किया जाता है।

नायब तहसीलदार **बांदनवाड़ा की पत्रावली सं. 18/2022 के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलाण्ट पर नोटिस की तामिल हुयी है। न्यायालय की आदेशिका पर अपीलाण्ट अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट** के द्वारा **अधीनस्थ** न्यायालय में जवाब पेश किया जाना जाहिर आया है तथा पत्रावली में **अपीलाण्ट** अधिवक्ता द्वारा **20.10.2022** को किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना नही पाया गया **है। अपीलाण्ट** द्वारा अतिक्रमित भूमि किस्म गैर मुमकिन चट्टान राजकीय भूमि के रूप में रिकॉर्डेड दर्ज **है । अतः** अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक **20.10.2022 प्रकरण** सं. 18/2022 में दखल दिया जाना उचित नही है। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र **खारिज किया** जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले इजलास मे सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलेक्टर, केकड़ी

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी